

भारत संघ और अन्य इटीसी

बनाम

बी. प्रसाद, बी. एस. ओ. और अन्य इटीसी

17 फरवरी, 1997

[के. रामास्वामी और जी. टी. नानावती, न्यायधीशगण]

सेवा कानून:

विशेष शुल्क भत्ता-भारत सरकार की कार्यवाही दिनांकित 17.4.1995 - उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तैनात रक्षा असैन्य कर्मचारी-विशेष शुल्क भत्ता और विशेष प्रतिपूरक का अधिकार (दूरस्थ स्थान) भत्ता-अभिनिर्धारित, परिचालन आवश्यकता के समर्थन के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात रक्षा नागरिक कर्मियों को वहां तैनात सेना के कर्मियों का समर्थन करने के लिए आसन्न शत्रुता का सामना करना पड़ता है और इस तरह उन्हें अकेले दोगुने भुगतान की आवश्यकता होती है लेकिन संशोधित क्षेत्र में रक्षा नागरिक कर्मचारी, (यानी बैरक) को तैनात किया है। क्योंकि क्षेत्र कम जोखिम वाला क्षेत्र है, दोगुने भुगतान के हकदार नहीं होंगे सरकार आदेश में संशोधन करेगी। तदनुसार-सरकार 17.4.1995 से पहले की अवधि के किसी भी भुगतान की वसूली नहीं करेगी।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार 1997 की सिविल अपील सं. 1572 आदि।

1995 के आर. ए. संख्या 4 में 1989 के ओ. ए. संख्या 49 के (केंद्रीय विज्ञापन मंत्रालय न्यायाधिकरण, गुवाहाटी के) निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थियों के लिए पी. पी. मल्होत्रा, सुश्री स्मिता इन्ना, वाई. पी. महाजन, सुश्री अनिल कटियार, अरविंद के. शर्मा, सुश्री कामाक्षी एस. महलवाल।

उत्तरदाताओं के लिए अरुण जेटली, पी. पी. राव, जसमीत सिंह, महेंदर सिंह राज के. गुप्ता, एच. वी. पी. शर्मा, राजेश और संजय पारिख।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था:

छुट्टी दे दी गई। हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है।

विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, गुवाहाटी पीठ द्वारा अलग-अलग मामलों में पारित विभिन्न आदेशों से उत्पन्न होती हैं। मुख्य आदेश 17.4.1995 को आर. ए. सं. 4/95 में उमेरु सं.49/89 में पारित किया गया था।

भारत सरकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के नागरिक कर्मचारियों के लिए भत्ते और सुविधाओं के भुगतान के लिए। यह विवाद में नहीं है कि सरकार द्वारा मूल वेतन के 25 प्रतिशत की दर से विशेष कर्तव्य भत्ता देने का आदेश दिया गया था जिसकी अधिकतम सीमा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के किसी भी स्टेशन पर पोस्टिंग पर रु.400 प्रति माह है। इसके बाद सरकार समय-समय पर आदेश जारी करती रही है। 17 अप्रैल, 1995 की कार्यवाही में, सरकार ने विशेष शुल्क भत्ते और विशेष प्रतिपूरक (दूरस्थ स्थानीयता) भत्ते के भुगतान को निम्नानुसार संशोधित किया:

" रक्षा नागरिक कर्मचारी, जो नए परिभाषित संशोधित फील्ड क्षेत्रों में सेवारत हैं इस मंत्रालय द्वारस समय समय पर जारी मौजूदरा निर्देशों के तहत, अब तक की तरह रक्षा नागरिकों के लिए स्वीकार्य विशेष प्रतिपूरक (दूरस्थ स्थान) भत्ता और अन्य भत्तों के

हकदार बने रहेंगे। जैसा कि अब तक रक्षा नागरिकों के लिए स्वीकार्य है, नव परिभाषित फील्ड क्षेत्रों में रक्षा नागरिक कर्मचारियों के संबंध में, विशेष प्रतिपूरक (दूरस्थ स्थान) भत्ता और अन्य भत्ते (फील्ड सेवा रियायतों के साथ) समवर्ती रूप से स्वीकार्य नहीं हैं।

भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील पी.पी.मल्होत्रा द्वारा यह तर्क दिया गया है कि न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि वे दोनों के हकदार हैं, सही नहीं है और वे दोनों में से किसी एक भत्ते के हकदार होंगे। कुछ प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. पी. राव ने तर्क दिया है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों पर रक्षा सेवा में काम करने वाले नागरिक कर्मचारियों को सक्षम व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए विशेष शुल्क भत्ता दिया गया था और जिन्हें तैनात किया गया है, वे इसके हकदार हैं - समान और संशोधित रियायतें उन कर्मचारियों पर लागू होंगी जिनका स्थानांतरण 17 अप्रैल, 1975 के बाद किया गया है। वे सभी जो पहले सेवारत थे, वे दोनों के हकदार होंगे। श्री अरुण जेटली, कुछ उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने फील्ड क्षेत्र और संशोधित फील्ड क्षेत्र के बीच के अंतर की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और प्रस्तुत किया है कि ऐसे मामलों में जहां नागरिक कर्मचारी सीमा परिचालन आवश्यकताओं के लिए तैनात फील्ड रक्षा व्यक्तियों का समर्थन कर रहे हैं। भारी शत्रुता का समाना करना पड़ रहा है। उन्हें दोनों भत्तों के भुगतान से वंचित कर दिया जाएगा, जबकि संशोधित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मी, दूसरे शब्दों में, बैरक में, दोनों भत्तों के दोगुने लाभ के हकदार होंगे। यह शत्रुतापूर्ण भेदभाव और अन्यायपूर्ण परिणाम पैदा करता है।

संबंधित दलीलों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि सरकार समय-समय पर सरकार जारी आदेशों के अनुसार पूर्वोक्त क्षेत्र में कार्यरत सभी रक्षा कर्मचारियों को विशेष शुल्क भत्ते के भुगतान का लाभ दे रही है। 17 अप्रैल, 1995 को वे दोनों विशेष शुल्क भत्ते के साथ-

साथ फील्ड एरिया विशेष प्रतिपूरक(दूरस्थ स्थान) भत्ते दोनों के हकदार है उसी तारीख 01.12.2017 से संशोधित किया गया। इसलिए, इस तथ्य के बावजूद है कि उन्हें उस तारीख से पहले तैनात किया गया है या नहीं, सभी केवल उस तारीख तक दोनों भत्तों के हकदार हैं, इसके बाद, सभी कर्मचारी चाहे पहले स्थानांतरित किए गए हों या पहले या बाद में स्थानांतरित किए गए हों।

उपरोक्त संशोधित आदेश के अनुसार, विशेष शुल्क भत्ते के केवल एक सेट के भुगतान का हकदार होगा। जहाँ तक परिचालन आवश्यकताओं के समर्थन के लिए सीमा क्षेत्र पर तैनात रक्षा नागरिक कर्मियों को विशेष शुल्क भत्ते के भुगतान का संबंध है उन्हें वहाँ तैनात सेना कर्मियों का सकर्थन करने वाली आसन्न शत्रुता का सामना करना पड़ता है। अनिवार्य रूप से, केवल उन्हें ही दोगुना भुगतान करने की आवश्यकता होती है लेकिन उन्हें इससे वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ी इलाकों में आसन्न शत्रुता का सामना कर रहे हैं जैसा कि 13 जनवरी, 1994 को सेना की कार्यवाही में परिकल्पित किया गया था। लेकिन संशोधित फील्ड क्षेत्र, दूसरे शब्दों में, रक्षा शब्दावली में, उस क्षेत्र में बैरक कम जोखिम वाला क्षेत्र है; इसलिए वे दोहरे भुगतान के हकदार नहीं होंगे इन परिस्थितियों में श्री पी. पी. मल्होत्रा सही हैं। यह कहते हुए कि शब्दावली आदेश में संशोधन की आवश्यकता है। सरकार को आदेश को संशोधित करने और उसके अनुसार शुद्धिपत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

अपीलों का निपटान तदनुसार किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत संघ 17 अप्रैल 1995 से पहले की अवधि में किए गए किसी भी भुगतान की वसूली का हकदार नहीं है।

अपीलों का निपटारा किया गया।

उपेन्द्र नारायण सिंह